एंजल कर हटाने से देश में स्टार्टअप के मौके बढ़ेंगे

स्पष्टीकरण

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए एंजल कर को समाप्त करने से उद्यम पूंजी निवेशक और अन्य स्टार्टअप में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी मामले का मौजूदा कानूनी व्यवस्था के जरिये ध्यान रखा जाएगा।

अग्रवाल ने यह भी कहा कि लंबित प्रत्यक्ष कर अपीलों के निपटान के लिए बजट में घोषित 'विवाद से विश्वास' योजना इस साल शुरू की जाएगी। बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के साथ इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। इस कर को हटाने से देश में स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा मिलेगा। वह संबंधित इकाइयों से आग्रह करेंगे कि कृपया आगे आएं और निवेश करें क्योंकि देश आपके निवेश, पहल और नवोन्मेष की प्रतीक्षा कर रहा है।

यह पूछे जाने पर कि एंजल कर को हटाने के बाद निवेशक कोष से मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है, इससे कैसे निपटा जाएगा। अगर ऐसा कोई उल्लंघन पाया जाता है या पता चलता है कि कोष 'अघोषित' स्रोतों से आया है, तो इसमें प्रावधान हैं संबंधित कानून के तहत इसका ध्यान रखा जाएगा। अग्रवाल ने कहा केंद्र का एंजल कर हटाने का कदम वास्तव में स्टार्टअप व एंजल निवेशकों को भी इन निवेश के लिए प्रेरित करेगा और इससे देश को मदद मिलेगी।

सोने पर शुल्क कम करने से तस्करी रुकेगी

सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि सोने पर लगे 'अत्यधिक' आयात शुल्क में कटौती की बजट घोषणा से पीली धातु की तस्करी रोकने और रत्नों एवं आभूषणों का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंगलवार को संसद में पेश बजट 2024-25 में कीमती धातु पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत करने की घोषणा की गई। पिछले वित्त वर्ष में सीबीआईसी और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने लगभग 4.8 टन सोना जब्त किया था।